

# कार्यालय, अंचल अधिकारी, अड़की खूँटी।

## आदेश फलक

जिला:- वाद सं०:- 231 J.R. / 2020-21 सन्

विषय:- भूमि बन्दोवस्ती नियमितिकरण करने के संबंध में।

### आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश  
का  
क०सं०एवं  
तारीख

आदेश प  
की गई  
कार्रवाई  
बारे में


29/10/2020

जमाबंदीदार श्री/ श्रीमती लखन मिर्धा पिता/पति बहादुर मिर्धा  
मौजा शिवलोक थाना-अड़की, जिला खूँटी के नाम से पंजी -II पृष्ठ संख्या- 102-5  
में दर्ज है। उक्त भूमि बन्दोवस्ती वाद सं०- 54 / 295 / 20-71 के आधार पर दर्ज है।  
जमाबंदीदार सुयोग्य श्रेणी के अनुसूचित के सदस्य है एवं भूमिहीन है। कायम जमाबंदी संदिग्ध है।

### भूमि की विवरणी:-

मौजा	थाना नं०	खाता नं०	प्लॉट सं०	रकबा
<u>शिवलोक</u>	<u>260</u>	<u>76</u>	<u>698</u>	<u>1.00 (अक्ष)</u>

सरकार के सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड सरकार का पत्रांक-06/भूमि का नियमितीकरण-89/2020-1704/रा० दिनांक:- 15.07.2020 में यथाविहित प्रावधानानुसार संबंधित राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक से जाँच प्रतिवेदन की मांग करें, पुनः अभिलेख दिनांक:- 07/11/2020 को उपस्थापित करें।

  
अंचल अधिकारी  
अड़की।




07/11/2020

अभिलेख उपस्थापित किया गया।/संबंधित राजस्व उप निरीक्षक का स्थल जाँच/  
भौतिक सत्यापन/ दखल-कब्जा संबंधी प्रतिवेदन अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्राप्त हुआ है तथा  
सरकार के सचिव, राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड सरकार का पत्रांक:-06/ भूमि  
नियमितिकरण- 89/2020-1704/रा० दिनांक:- 15.07.2020 में यथाविहित प्रावधानानुसार भूमि के  
नियमितिकरण हेतु अनुशंसा किये हैं।


अतः संबंधित राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के स्थल जाँच/भौतिक  
सत्यापनोपरान्त/दखल-कब्जा एवं अनुशंसा के आधार पर जमाबंदीदार श्री/श्रीमती...  
..... पिता/पति ...  
..... मौजा-...थाना-अड़की,  
जिला-खूँटी के नाम से मौजा-...थाना नं०...खाता सं०...  
प्लॉट सं०... रकबा-...लगान ... रूपये अलावे  
शेष पर भूमि बन्दोबस्ती को नियमितिकरण की स्वीकृति दी जाती हैं

तदनुसार संबंधित राजस्व उप निरीक्षक को निदेश दिया जाता है कि पंजी-II में तदनुरूप  
ऑनलाईन प्रविष्टि करेंगे।

  
अंचल अधिकारी,  
अड़की।

अभिलेख उपस्थापित किया गया। संबंधित राजस्व उप निरीक्षक द्वारा मौजा-...  
..... थाना नं०...के पंजी- II भौलुम (VOL-.....) के पृष्ठ संख्या-.....पर  
ऑनलाईन प्रविष्टि कर आवश्यक सुधार कर लिया गया है।

अतः अभिलेख की कार्रवाई समाप्त की जाती हैं  
अभिलेख अभिलेखागार में जमा करें।

  
अंचल अधिकारी,  
अड़की।